

25.5.18

पम्पवली डाक कोर्ट का मध्य-पंचवरा में पेश हुई। पम्पवली का सबलोकन किया गया। प्रस्तुत भूमि का वादी रवातेदार नहीं है। वादी स्व रिजॉर्डेड रवातेदार को रमाई व्यादेश के पाबन्द करवाया जा रहा है जिसका उनको कोई विधिगत अधिकार नहीं है। वादी द्वारा जिस काबिल इकरारनामा का कब्जा किया है उसके संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद पग प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। पम्पवली वाद पग आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। पम्पवली फैसला शुगर होकर गम्बर के काम हो तथा दारिखिल रूप हो।